105

दिनांक –2.04.12 को श्री सुनील कुमार, विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में S.D.R.F चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

S.D.R.F. के विभिन्न पदों पर चयन हेतु आयोजित अंतर्वीक्षा में योग्य पाये अभ्यर्थियों की पदवार मेधा सूची, चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची बनाई गई और इन सूचियों में विभागीय माननीया मंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय वेबसाईट WWW.Disastermgmt.bih.nic.in पर इन्हें प्रकाशित किया गया।

विभागीय वेबसाईट पर इन सूचियों के प्रकाशन के उपरांत S.D.R.F. के विभिन्न पदों के संबंध में कई अभ्यर्थियों की आपत्तियॉ विभाग को प्राप्त हुई हैं । इन आपत्तियों के आलोक में अभ्यर्थियों के आवेदन में वर्णित उनकी योग्यताओं एवं विज्ञापन के अंकित शर्तों से मिलान की गई । इसके उपरांत विभागीय चयन समिति ने सम्यक विचारोपरांत इन आपत्तियों के संबंध में पदवार निम्नांकित निर्णय लिये हैं :–

SI (Communication)

आपत्तियॉ :–(i) श्री नगेन्द्र कु0 सिंह ने अपने आवेदन में अनुरोध किया है कि सभी जॉचों में उत्तीर्णता के बावजूद उनका नाम किसी भी सूची में नहीं है, अतः उनका नाम मेधा सूची एवं चयन सूची में अंकित किया जाय ।

समिति का निर्णय – श्री सिंह के अंतर्वीक्षा संबंधी प्रमाण–पत्रों की जॉचोपरांत पाया गया कि Medical Test में absent रहने के कारण उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री सिंह के साथ Medical Test में अनुपस्थित रहे अन्य अभ्यर्थियों (सूची संलग्न) का भी Medical test कराने हेतु Medical Board गठित करने एवं तदनुसार सूची तैयार करने हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाय ।

आपत्तियॉ :– **(ii)** श्री गंगासागर ओझा एवं श्री रामजी सिंह ने अपने आवेदन में जिक्र किया है कि भर्ती के समय आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके नाम चयन सूची में नहीं है । उन्होंने वांछित कागजात प्रस्तुत करके आवश्यक कारवाई करने का अनुरोध किया है ।

समिति का निर्णय :– समिति ने इन दोनों के Result की जॉचोपरांत पाया कि इन दोनों को Medical Test में absent रहने के कारण अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है और इनकी Medical test हेतु भी Medical Board गठित करके तदनुसार इनकी सूची तैयार की जाय ।

Sub Inspector (Executive) :-

आपत्तियॉ –(i) श्री अम्बिका प्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जिक्र किया गया है कि वे BC-II कोटि के है परन्तु पूर्व में जाति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करने के कारण उनका नाम मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में सामान्य कोटि में अंकित किया गया है । श्री प्रसाद ने जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुए BC-II कोटि के अनुसार सूची में अपना नाम अंकित करने का अनुरोध किया है ।